

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

छिन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 88 आरटीए, 136 एल आर एकट नम्बर 219 सन् 2022

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

05.12.2022

वादिया छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम-1956 पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.01.2023 को पेश हो।

9/1/23

वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इतमार रिपोर्ट दिनांक 24/01/23 को पेश हो

24/01/23

वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त इस सामिल मिश्रल की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/01/2023 को पेश हो।

30/01/23

वादी अधिवक्ता उपस्थित। बिणये अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्ण डिफ्री इस आदेश का जारी हो। पत्रावली निर्णति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल करत हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

